पत्रांकः– 04 / NULM- 61(PF-1)/2015/......719....... / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत
(औरंगाबाद / छपरा / सहरसा / सासाराम / हाजीपुर / सिवान / बेतिया / मोतिहारी / किशनगंज / बक्सर / जहानाबाद / लखीसराय / नवादा / जमुई / अररिया / मधुबनी / सीतामढ़ी / गोपालगंज / सुपौल / समस्तीपुर / शेखपुरा / मधेपुरा / भभुआ / खगड़िया / अरवल / बांका / शिवहर / दानापुर / डेहरी / बोधगया / राजगीर / लालगंज / सुल्तानगंज / हवेलीखड़गपुर / गोगरी जमालपुर / नवगछिया / अमरपुर / वारसलीगंज / झाझा)।

पटना, दिनांकः ...16/3/17...

विषयः– **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन शहरी निराश्रितों हेतु संचालित आश्रय स्थल (SUH) के लभार्थियों के लिए आश्रय स्थल पर लॉकर की व्यवस्था करने एवं मासिक स्वास्थ्य शिविर के आयोजन इत्यादि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** के **SUH** घटक के अधीन शहरी निराश्रितों के लिए नये आश्रय स्थलों के निर्माण एवं पूर्व से अवस्थित आश्रय स्थलों / रैन बसरों के जिर्णोधार एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु नगर निकायों को राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। नगर निकायों के द्वारा अभी भी सभी आश्रय स्थलों का संचालन प्रारंभ नहीं कराया गया है एवं नये आश्रय स्थल का निर्माण भी अबतक संपन्न नहीं कराये गये हैं। उल्लेखनीय है कि, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा वाद संख्या–W.P.(C)55/2003 and 572/2003 (श्री इ. आर. कुमार एवं अन्य बनाम् युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में समय–समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

इसी क्रम में दिनांक– 25.02.2017 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के राज्य प्रतिनिधियों एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में भी इस योजना की प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी थी। बैठक में नगर निकायों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर यथाशीघ्र कार्रवाई सुनश्चित कराने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) जिन नगर नगर निकायों में पूर्व से अवस्थित रैन बसेरों का संचालन अबतक प्रारंभ नहीं कराया गया है वे आश्रय स्थलों का जिर्णोधार कार्य संपन्न कराकर रैन बसेरों को प्रबंधन एवं प्रचालन **ALO** के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें। आश्रय स्थल के प्रचालन एवं प्रबंधन हेतू विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित मार्ग दर्शिका के अनुरूप कराया जाय।

(i) नये आश्रय स्थल **(SUH)** का निर्माण कार्य यथाशीघ्र संपन्न कराते हुए उनका प्रचालन एवं प्रबंधन भी प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) संचालित सभी आश्रय स्थलों / रैन पर लाभार्थियों के सामानों की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार लॉकर की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाय।

(iii) आश्रय स्थलों / रैन बसेरों के लाभार्थियों के लिए स्थानीय पी0एच0सी0 एवं अस्पताल से समन्वय स्थापित कर मासिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुनिश्चित किया जाय।

(iv) आश्रय स्थलों के लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा योजना यथा–(वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधाव पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राज्य सरकार की पी.डी.एस. योजना, लाथार्थियों का पहचान–पत्र आधार कार्ड इत्यादि) से जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाय।

(v) **NULM** शहर नहीं रहने के कारण पूर्व में **राज्य योजना मद (नागरिक सुविधा)** के अधीन 10 नगर निकायों **(बोधगया/राजगीर/लालगंज/सुल्तानगंज/हवेलीखड़गपुर/गोगरी/जमालपुर/नवगछिया/अमरपुर/वारसलीगंज एवं झाझा)** को नये आश्रय स्थल **(SUH)** के निर्माण की स्वीकृति देते हुए राशि विमुक्त किया जा चुका है। परन्तु इन नगर निकायों द्वारा आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में कोई प्रतिवेदन विभाग को नहीं भेजा जा रहा है। इन नगर निकायों को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत आश्रय स्थल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करके इसका मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

सभी संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

15/3/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

PARLIAMENT QUESTION
MOST URGENT

No. H-11016/64/2017-UPA-II (FTS-3017442)
Government of India
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
(UPA-II Division)
****

Nirman Bhavan, New Delhi.
Dated the 27.02.2018

To,

1. Principal Secretary (Urban Development),
Urban Development Department,
Room No. 103, Annexy Bhavan,
Sarojini Naidu Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.

2. Principal Secretary (Urban Development),
Urban Development & Housing Department,
Vikas Bhawan, Bailey Road,Patna, Bihar 800015.

3. Principal Secretary (Urban Development),
Urban Development Department,
9th & 10th Level, Delhi Secretariat,
I.P. Estate. New Delhi-110002.

4. Principal Secretary (Urban Development),
Urban Local Bodies Department,
Room No. 506, 5th Floor New Civil Secretariat,
Sector 17, Chandigarh.

5. Principal Secretary (Urban Development),
Department of Local Self Government,
Room No.8223, SSO Building,
Shashan Sachivalaya,Jaipur.

Sub:- The Lok Sabha **STARRED** Question Dy.No.6551 **to be answered on 06.03.2018** seeks information regarding "**Medical aid to Night Shelters**".

Sir/Madam,

I am directed to refer to the aforesaid question due for answer in Lok Sabha on 06.03.2018 by this Ministry. The text of the question is as follows:-

(a) whether the Ministry has any proposal to provide basic medical aid to all the Night Shelters in Urban Areas for the Urban Poor in the country;
(b) if so, the details thereof
(c) if not, the reasons therefore; and
(d) the details of plan outlay and time limit for completion of the aforesaid project with special reference to Delhi/NCR, Ambedkar Nagar, UP and Purena,Bihar?

....2

2. It is requested to furnish the information w.r.t. Point-d of the aforesaid Parliament Starred Question to this Ministry latest by forenoon of 28.02.2018 by e-mail on sousd12345@gmail.com / dir-nulm@gov.in

27/02/2018
(Surender Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Telephone: 23061185

Copy to:-

1. Mission Director (SULM), Uttar Pradesh.
2. Mission Director (SULM), Bihar.
3. Mission Director (SULM), Delhi.
4. Mission Director (SULM), Haryana.
5. Mission Director (SULM), Rajasthan.

27/02/2018
(Surender Kumar)
Under Secretary to the Government of India